प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022
प्र0सू0रि0 सं. 72/2022 दिनांक 5/3/2022

2. (I) अधिनियमः–धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम ..... धारायें
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

3 रोजनामचा आम रपट संख्या .....105..... समय .....8:05 P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–शुक्रवार दिनांक 04.03.2022 समय 10.05 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....21.02.2022.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित

5. घटनास्थलः– यूएनओ, यूनिक निक्स आउटलेट कैफे, एसएफएस चौराहा, बीटूबाईपास, जयपुर।
(अ पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– 9 कि0मी0 पश्चिम
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम– श्री चेतन प्रकाश नानकानी
(ब) पिता/पति का नाम– वासुदेव नानकानी
(स) जन्म तिथी– 31 साल
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय–
(ल) पता– मकान नम्बर 119, नीलकण्ठ बालाजी इन्द्रा मार्केट, चाकसू, जयपुर हाल
निवासी मकान नम्बर 103/17 सेक्टर 10, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्रीमती सिन्धु कुमारी पत्नी **श्री राकेश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी फ्लैट नम्बर सी–1201, अनुकम्पा प्लेटीना, मानसरोवर, जयपुर हाल औषधि नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रण** संगठन, सेठी कोलोनी, **जयपुर**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–5,000/– रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 21.02.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में तलब कर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री चेतनप्रकाश नानकानी पुत्र श्री वासुदेव नानकानी उम्र 31 साल निवासी मकान नम्बर 119, नीलकण्ठ बालाजी, इन्द्रा बाजार, चाकसू, जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 103/17 सेक्टर 10, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर के रूप में करवाकर उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित आदेश कर आवश्यक निर्देश प्रदान कर प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के बारे में निर्देश दिये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री चेतनप्रकाश को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी श्री चेतनप्रकाश नानकानी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मेरी सर्वानन्द फार्मा SHOP. NO. 12 shiv kripa house film Colony Nataniyon ka Rasta Jaipur में स्वयं का मेडिकल स्टोर है और C.MADHAV PHARMA के नाम से मेरे साले HEMANT KUMAR Trilokani की मेडि. स्टोर है जो भी मेरे मेडि. स्टोर के पास है सी0 माधव का A&B एरिया श्रीमती Sindhu Kumari औषधि नियंत्रक अधि. के निरिक्षण एरिया आता है सी0 माधव के निरिक्षण हेतू

श्रीमती सीन्धू कूमारी औषधि नियंत्रक ने अपने मो0नं0 9602348577 से मेरे मो0नं0 9887897998 पर दिनांक 16/2/22 को WHATHAPP CoLL कर मूझसे सी0 माधव के निरिक्षण नहीं करने एवं बिना निरिक्षण किये सही रिपोर्ट बनाने एवज में मूझसे 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है मै श्रीमती सिन्धू कूमारी को सी0 माधव फार्मा के निरिक्षण रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता हू उसे रिश्वत लेते रंगो हाथो पकडवाना चाहता हू मेरी श्रीमती सिन्धू कूमारी से कोई आपसी रंजीस व लेन–देन नही है। श्रीमती सिन्धू कूमारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।'' तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा परिवादी ने मज़ीद दरियाफ्त पर बताया कि उक्त रिपार्ट मेरे द्वारा स्वयं हस्तलिखित है। सर्वानन्द फार्मा SHOP. NO. 12 shiv kripa house film Colony Nataniyon ka Rasta Jaipur मेरा स्वयं का मेडिकल स्टोर है। जो मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है। मेरे मेडिकल के पास में ही मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी का मेडीकल स्टोर है। जिसका नाम सी. माधव फार्मा है। जो मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं मेरे मेडिकल के साथ–साथ मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के सी. माधव फार्मा से सम्बधित कार्य जैसे सेल टेक्स, इनकम टेक्स, ड्रग्स आदि कार्य भी देखता हूं। हमारे मेडिकल का वर्ष में एक या दो बार छः–छः महिने में औषधि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी का मेडिकल सी. माधव फार्मा श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी के क्षैत्राधिकार में आता है। मेडिकल स्टोर का अल्फाबेट के आधार पर क्षेत्र बंटा हुआ है। मेरा मेडिकल उनके अधिकार क्षैत्र में नहीं आता। इसलिये सी माधव फार्मा का वर्ष 2022 का निरीक्षण श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जाना है। उक्त सी माधव फार्मा के निरीक्षण करने के लिये श्रीमती सिन्धु कुमारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9602348577 से मेरे मोबाईल नम्बर 9887897998 पर व्हाट्स एप्प के जरिये कॉल कर मुझसे सी. माधव फार्मा का मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करने तथा बिना निरीक्षण किये ही सही रिपोर्ट बनाने की एवज में 10,000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर रही है। मैं संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कुमारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजीश नहीं है तथा न ही उनसे मेरा कोई लेन–देन बकाया है। तत्पश्चात परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सिन्धु कमारी औषधि नियत्रंक अधिकारी द्वारा अपनें मोबाईल फोन पर किये गये व्हाटस एप्प कॉल के स्क्रीन शॉट की प्रतियां स्वयं के हस्ताक्षरशुदा पेश की एवं परिवादी श्री चेतनप्रकाश ने सी. माधव फार्मा के रजिस्ट्रेशन/ लाईसेन्स सम्बंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की। जिसके सम्बंध में परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि फार्म नम्बर 20 बी तथा 21 बी की सत्यापित प्रति है। यह दोनों सी. माधव फार्मा के ड्रग लाईसेंस है जो मेरे साले श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी के नाम से वर्ष 2019 से रजिस्टर्ड है। परिवादी ने यह भी बताया कि संदिग्ध अधिकारी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि सी. माधव फार्मा के ऑनर श्री हेमन्त कुमार त्रिलोकानी है तथा मैं उक्त फार्मा का वितरण आदि अतिरिक्त कार्य देखता हूं। परिवादी ने बताया कि निरीक्षण के लिये विभाग की तरफ से कोई गाईडलाईन व समय सीमा नहीं है। कभी तो वर्ष में एक बार या कभी छः महिने में निरीक्षण करते है। कभी कभार अनियमितता पाई जाने पर शिकायत पर विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी सिन्धु कुमारी द्वारा सी. माधव फार्मा का जून से दिसम्बर 2021 का निरीक्षण पूर्व में किया जा चुका है। अभी माह जनवरी से जून 2022 के निरीक्षण के लिये मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करने तथा बिना निरीक्षण किये निरीक्षण रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रही है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा कार्यालय से एक खाली मेमोरी कोर्ड मंगवाया जाकर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री रमजान अली कानि0 466 को परिवादी से सम्पर्क करवाकर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 22.02.2022 को कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 को परिवादी के साथ भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर आरोपिया श्रीमती सिन्धु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा परिवादी श्री चेतनप्रकाश से सी–माधव फार्मा मेडिकल का मौके पर जाकर निरीक्षण किये बिना सही रिपोर्ट तैयार करने की एवज में 15,000/– रूपये कर रिश्वत की मांग करना तथा दौराने सत्यापन ही परिवादी से 5,000/– रूपये की रिश्वत प्राप्त किया जाना सत्यापित हुआ। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्रीमती सिन्धु कुमारी से मेरा जरिये दूरभाष सम्पर्क होने पर ही बता पाउंगा कि सिंधु